Ltd. The amounts of increase permitted are as under:—

 Zetor 2511
 Rs. 2,300

 International B275|276
 Rs. 375

 International 434
 Rs. 1,635

(c) The earlier price for the Zetor 2511 tractor was fixed provisionally when HMT commenced production and no details were available about the cost of manufacture. After HMT had assembled tractors for a few months, some details of the cost of manufacture became available, on the basis of which they asked for an increase of about Rs. 3000 in the selling price. Pending a detailed cost examination Government allowed a provisional increase of Rs. 2300.

In the case of the tractors manufactured by the ITCI, the increases have been permitted to cover the additional cost on account of customs duty at increased rates on some components (crankcases) and tyres and tubes which had to be imported to supplement indigenous supplies which were inadequate to meet the full requirements of the firm to maintain their high production level.

पूर्ति विभाग के अस्थायी कर्मकारी

1773. श्री हुक्स चन्द कछवाय: क्या पूर्ति और पूनर्वास मंत्री यह बताने की हापा करेंगे कि इस समय पूर्ति विभाग में कितने प्रस्थामी कर्मचारी है जिन्होंने 5 वर्ष से ग्रिधिक की सेना पूरी कर जी है?

पूर्ति भीर पूनर्वास मंत्री (भी भार • के • साडिसकर): जानकारी एकतित की जा रही है भीर उसे सभा पटल पर रख दिया आयेगा।

इस्पात ग्रीर सान मंत्रालय के कर्मचारियों को ग्रदा किया समयोपरि भक्ता

1774 श्री हकम चन्द कछवाय : नया इस्पात सौर खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या वर्ष 1970-71 और 1971-72 में उनके मन्त्रालय में काम कर रहे कर्म-चारियों को भ्रदा किये गये समयोपित भन्ते की तुलना में वित्तीय वर्ष 1972-73 में उन्हें भ्रदा किये गये समयोपिर भन्ते की राशि में काफी वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि नहीं; तो उक्त वित्तेय क्वों के दौरान समयोपरि भत्ते पर हुए खर्च की राशि का वर्ष-वार ब्योरा क्या है; ब्रोर
- (ग) क्या वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 1973-74 में अन्-मानित व्यय की राणि में कुछ कमी करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो विस्य प्रकार ?

इस्पात ग्रीर खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) ग्रीर (ख) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 की तुन्ना में वर्ष 1972-73 में इस्पान विभाग तथा खान विभाग के कर्मचारियों को दिए गएसमयोपरि